न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 182/2017

अनवान :

1. दीपचन्द उर्फ दलीप सिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. मोहनी पत्नी रामजीलाल जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज0

–असल प्रतिवादी

2. नत्थुराम पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज0
3. राजेराम पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज0

– प्रतिवादीगण

4. गिरदावरी पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज0
5. बिमला पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज0
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री योगेश शर्मा : **वादी**

वकील श्री राममूर्ति ताखर : **प्रतिवादी सं0 1 ता 5**

निर्णय **दिनांक :** 30.7.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नुवां के खाता सं0 33/28 के खसरा सं0 180 की 2.9340 है0 खसरा सं0 224 की 13.9490 है0 खसरा सं0 358 की 5.7410 है0 कुल खसरा 3 कुल क्षेत्रफल 22.6240 है0 में बारानी कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 व मृतक महेन्द्र का 553 हिस्सा में बहिस्सा बराबर व चक 3 एमएसआर के खाता सं0 72/79 के मु0नं0 107 के किला नं0 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कुल किता 9 की 2.2770 है0 मु0नं0 108 के किला नं0 5, 6, 15 कुल किता 3 की 0.759 है0 कुल किता 12 कुल क्षेत्रफल 3.0360 है0 में वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 का मृतक महेन्द्र के साथ बहिस्सा बराबर व इसी प्रकार चक 2 जीजीएम के खाता सं0 47/45 के मु0नं0 18 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 कुल किता 5 कि 1.2400 है0 मु0नं0 105/9 की किला नं0

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

0/2 की 0.0250 है0 कुल खसरा कुल क्षेत्रफल 1.2650 है0 कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 का मृतक महेन्द्र के साथ बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी का भाई महेन्द्र 1988 में ही लावल्द कुवारा फौत हो गया था, इसलिए उसके देहान्त होने से उसके नाम दर्ज वाद भूमि को वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 काश्त करने लगे तथा आज भी वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 वाद भूमि बिना किसी रोक टोक के काश्त कर रहे है चूंकि पक्षकारान का पिता रामजीलाल कर्ता खानदान होने के चलते रामजीलाल ने सभी परिवार जनों के सामने यह स्पष्ट कर दिया था कि वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 का घर परिवार खेती बाड़ी से होने वाली आय से चलता है इसलिए स्व0 महेन्द्र के नाम जो कृषि भूमि दर्ज है उसको वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 काश्त करेंगे तथा इस बाबत उसका कोई वारिस एतराज नहीं करेगा तथा वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 जब चाहेगें अपने नाम क़रवा सकेंगे इस बाबत सभी अन्य प्रतिवादीगण सं0 1 व 4 व 5 ने भी हां भर कर अपनी सहमति जाहिर की, इस प्रकार वाद भूमि महेन्द्र के देहान्त के बाद से अर्थात् 1988 से वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 काश्त करते आ रहे है और उन्ही के कब्जा काश्त में और वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के कृत्य को प्रतिवादीगण सं0 1 व तरतीबी प्रतिवादीया सं0 4 व 5 ने भी स्वीकार किये रखा है इसलिए वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 मृतक महेन्द्र के नाम दर्ज वाद भूमि के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हो चुके है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के मजाज कानूनी है।

रामजीलाल का देहान्त का देहान्त तीन माह पूर्व हो चुका है और रामजीलाल के 12वें दिन अब सभी पक्षकारान गांव भरवाना में उपस्थित सभी समाज बिरादरी के सामने यह तय हुआ कि 1988 से स्व0 महेन्द्र के नाम दर्ज वाद भूमि को वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 ही काश्त करते आ रहे है और उन्हे 20 वर्ष से ज्यादा समय हो चुका है और उक्त कृषि भूमि पर अब कानूनन उनका ही हक बनता है इसलिए वे जब अपने नाम घोषणा करवाऐंगे तो सभी इस बात की सहमति जहां जरूरत होगी वहां देंगे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने जबाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 6 व 7 को बार बार आवाज लगाई गई बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 दीपचन्द उर्फ दलीपसिंह, पीडब्ल्यु 2 देवीलाल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम नुवां खाता सं0 33/28 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 3, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम 3 एमएसआर खाता सं0 72/79 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 5, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 2 जीजीएम खाता सं0 47/45 सम्वत् 2070 से 73 प्रदर्श 4, चित्रप्रति प्रमाणित आधार कार्ड प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 ने राजीनामा/पारिवारिक सेटलमेन्ट पेश किया है।

बहस वकील वादी पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने वादभूमि में महेन्द्र (लावल्द कुवांरा फौत) का हक हिस्सा स्वयं व प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 के नाम दर्ज करवाने का पेश किया है। वादी ने कथन किया है कि वह तथा प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 वादभूमि में महेन्द्र का हिस्सा काश्त करते आ रहे है व उनके पिता रामजीलाल ने पारिवारिक सैटलमेन्ट में उक्त भूमि तीनों भाईयों को दी थी।

सहायक कलक्टर
भादरा (हनु.)

हस्तगत प्रकरण में महेन्द्र की लावल्द मृत्यु होने के पश्चात् उसके प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारी उसकी माता है। हिन्दू महिला को अपनी सम्पति का पूर्णतया मालिकाना अधिकार होता है। उसकी सम्पति को उसके पति द्वारा निष्पादित नहीं किया जा सकता है। पक्षकारान ने जो पारिवारिक सैटलमेन्ट व राजीनामा प्रस्तुत किया है, उसमें वादभूमि वादीगण को बहिस्सा बराबर दर्ज करवाने की सहमति प्रदान की है जबकि वाद मात्र वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसलिए अपूर्ण राजीनामा व पारिवारिक सैटलमेन्ट के आधार पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। इस प्रकार वादी अपना वाद साबित करने में असफल रहा है।

अत : उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी साबित न होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.7.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
(फास्ट ट्रेक)
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़